11 अगस्त, 2009 को आयोजित की जाने वालीअनुमोदन बोर्ड की 35वीं बैठक के लिए समेकित एजेंडा

मद संख्या 35.1 : अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों का प्रत्यायोजन

अधिकृत गतिविधियों आदि जैसे मामलों पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की एक उप समिति को शक्तियों के प्रत्यायोजन पर 19 **जून** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई तथा राजस्व विभाग के अनुरोध पर इसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि वे प्रस्ताव की जांच इसलिए नहीं कर सके कि जो समय दिया गया था वह बहुत कम था। बोर्ड ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे पर वाणिज्यि विभाग द्वारा बुलाई गई बैठक में विचार किया जा सकता है। अब इस मामले पर** 4 **अगस्त** 2009 **को वाणिज्य विभाग के साथ चर्चा की जाएगी। अन्य सदस्यों के सुझावों के साथ चर्चा के परिणामों पर अनुमोदन बोर्ड की बैठक द्वारा विचार किया जाएगा।**

मद संख्या 35.2 : डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में प्रस्तावित वृद्धि

अधिसूचित एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों से संबंधित मुद्दे पर 22 **जून** 2007 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। उस समय यह महसूस किया गया कि अधिसूचना की तिथि तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रचालनों के वास्तविक अनुमोदन के बीच समयांतराल मौजूद है। तदनुसार परियोजना कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए अनुबंध** 1 **में संलग्न सूची के अनुसार अनुमोदन बोर्ड द्वारा उक्त बैठक में डिफाल्ट प्रचालन के रूप में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की गई, जिन्हें एसईजेड की अधिसूचना के बाद यथास्थिति विकासक या सह विकासक द्वारा संचालित किया जा सकता है।**

विकास आयुक्तों / यूनिट अनुमोदन समिति को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से इन डिफाल्ट अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासकों / अनुमोदित सह विकासकों को ड्यूटी फ्री सामग्री की अनुमति प्रदान करने की सलाह दी गई।

यह भी महसूस किया गया कि डिफाल्ट प्रचालनों की सूची में कुछ और अधिकृत गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। पिछली सूची में अभिवृद्धियों को मोटे अक्षरों तथा इटैलिक्स में दर्शाया गया है और अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुबंध 2 **के रूप में प्रस्तुत है।**

मद संख्या 35.3 : "एसईजेड विकासक को जारी किए गए सैद्धांतिक या औपचारिक अनुमोदन को उसकी सहायक कंपनी या एसपीवी को अंतरित करना" के संबंध में पहले से अनुमोदित श्रेणियों में नई श्रेणी को शामिल करना

15 जनवरी 2009 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित श्रेणियों में अनुमोदनों के अंतरण / नाम में परिवर्तन के लिए कुछ दिशानिर्देशों को मंजूरी प्रदान की थी।

(i) श्रेणी 1 - जहां नाम में एक से अधिक परिवर्तन हों तथा मूल विकासक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई परिवर्तन न हो,

(ii) श्रेणी 2 - जहां अनुमोदन विकासक कंपनी के 100 प्रतिशत एसपीवी या पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) को अंतरित किया गया हो,

(iii) श्रेणी 3 - मैसर्स बजाज होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में न्यायालय के निर्णय को देखते हुए डिमर्जर,

(iv) श्रेणी 4 - जहां राज्य सरकार की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार या उसके किसी संगठन द्वारा आंशिक रूप से इक्विटी धारित की गई हो।

अनुमोदन बोर्ड ने यह भी कहा कि नाम में परिवर्तन / अनुमोदन के अंतरण के मामलों के संबंध में ये दिशानिर्देश अब से लागू होंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि शेष मामलों के संबंध में वाणिज्य विभाग राजस्व विभाग के परामर्श से अलग से मामले की जांच करेगा और अलग नीति दिशानिर्देश तैयार करेगा।

वाणिज्य विभाग ने एक और नई श्रेणी का सुझाव दिया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

(v) श्रेणी 5 - जहां कम से कम 51 प्रतिशत इक्विटी मूल विकासक द्वारा धारित की गई है अर्थात जहां मूल विकासक का नियंत्रण अधिकार बना रहेगा।

उपर्युक्त प्रस्तावित श्रेणी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.2 : एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों का अनुमोदन

अनुमोदन बोर्ड एसईजेड अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 4 के अंतर्गत बोर्ड के कार्यों के प्रभावी एवं समुचित निर्वहन के लिए विकास आयुक्त को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रचालनों के संबंध में एसईजेड अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 के खंड (ख) के तहत विकास आयुक्तों को बोर्ड की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव है जिनका प्रयोग अनुमोदन समिति के परामर्श से किया जाएगा। जब अनुमोदन बोर्ड इसे मंजूरी प्रदान कर देगा तो संगत नियम को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाएगा। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.5 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेषण के लिए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए दिशानिर्देश वाणिज्य विभाग द्वारा 27 **फरवरी** 2009 **को जारी किए गए। कुछ मामले ऐसे हैं जहां उनके एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालनों में से एक के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन एवं वितरण के लिए विकासकों / सह विकासकों को मंजूरी पहले ही प्रदान की जा चुकी है।**

नीचे तीन ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है :

(i) **मैसर्स मोजर बियर इंडिया लिमिटेड** (**एमबीआईएल**) **को उनके एसईजेड के लिए अधिकृत प्रचालनों में से एक के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में विद्युत उत्पादन एवं वितरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। तदनुसार एमबीआईएल ने वर्ष** 2008 **में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में** 15 **मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट स्थापित किया है और अधिकृत प्रचालन के रूप में पावर प्लांट के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए ड्यूटी फ्री कच्ची सामग्री, उपभोज्य वस्तुएं आदि अधिप्राप्त करके जून** 2008 **से विद्युत उत्पादन आरंभ किया है। पैदा की गई बिजली का वितरण एसईजेड के अंदर स्थापित एसईजेड यूनिटों को किया जाता है। चूंकि एसईजेड यूनिटों ने मंदी के कारण पूर्ण स्तर पर उत्पादन और निर्यात शुरू नहीं किया है इसलिए विद्युत की वर्तमान आवश्यकता केवल** 5 **से** 6 **मेगावाट के आसपास है। इसलिए एमबीआईएल एनएसईजेड द्वारा प्रदान की गई मंजूरी के आधार पर अतिरिक्त बिजली एमबीआईएल की समीपवर्ती ईओयू यूनिट को अंतरित कर रहा है, जो आप्टिकल मेडिकल उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री करती है। एमबीआईएल ने अपने समीपवर्ती ईओयू को बिजली का अंतरण करने के लिए नई अनुमति के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड को आवेदन किया है क्योंकि पहले प्रदान किया गया अनुमोदन** 26 **जून** 2009 **को कालातीत हो गया है। उन्होंने अधिकृत प्रचालन के रूप में बिजली के उत्पादन के लिए ड्यूटी फ्री फर्नेस ऑयल की खरीद के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए भी आवेदन किया है। उन्होंने निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगे हैं** :

क) 27 **फरवरी** 2009 **को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए विद्युत दिशानिर्देशों की एमबीआईएल के पावर प्लांट पर प्रयोज्यता, जो अधिकृत प्रचालनों के अंग के रूप में एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित किया गया है।**

ख) **यदि हां, तो पूंजी मदों, इनपुट, उपभोज्य वस्तुओं की पिछली खरीद का संव्यवहार सहित यूनिट के रूप में पावर प्लांट के लिए एनएफई की गणना पर नियम / मार्गदर्शन।**

ग) जब तक यूनिट को एलओए प्रदान नहीं किया जाता है, पावर प्लांट के लिए उपभोज्य वस्तुओं, इनपुट आदि पर ड्यूटी लाभों से इन्कार करने पर उपयुक्त अनुदेशों को जारी करने का मुद्दा।

(ii) मैसर्स रिलायंस यूटिलिटीज लिमिटेड (आरयूएल) बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सह उत्पादन पावर प्लांट स्थापित करने के लिए रिलायंस एसईजेड, जामनगर में अनुमोदित सह विकासक है। मैसर्स आरयूएल ने एसईजेड अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी राजकोषीय लाभों को प्राप्त करने के बाद एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 720 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया है। मैसर्स आरयूएल ने सह उत्पादन पावर प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया है। यह विद्युत दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व किया गया है। यह वर्तमान विद्युत दिशानिर्देशों के किसी भी श्रेणी में शामिल भी नहीं है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड की यह राय है कि यदि इसे विद्युत दिशानिर्देशों की श्रेणी (i) में शामिल किया जाता है जो गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित होना है, तो इस क्षेत्र को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में घोषित करना संभव नहीं होगा क्योंकि यूनिट पहले से स्थापित है जिससे संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र की संहति / सन्निकटता प्रभावित होगी अथवा यदि इसे विद्युत दिशानिर्देशों की श्रेणी (ii) में शामिल किया जाता है तो यह एसईजेड के अंदर स्थापित यूनिट होगी और आईटी / आईटीईएस, रत्न एवं आभूषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि के समान मामले उत्पन्न होंगे जिनके संबंध में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक / सह विकासक को विद्युत उत्पादन के लिए पहले ही मंजूरी प्रदान की गई है तथा उक्त पावर प्लांट को एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 53 के तहत एनएफई प्राप्त करने की बाध्यता के साथ एसईजेड यूनिट के रूप में माना जा सकता है।

यदि उपर्युक्त स्थिति को स्वीकार किया जाता है तो निम्नलिखित मुद्दों पर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी :

क) क्या नियम 17 के तहत विकासक / सह विकासक को एलओए जारी करने की आवश्यकता है?
ख) यदि हां, तो ऐसे एलओए की तिथि क्या होगी?
ग) ऐसे एलओए की वैधता बिजली का उत्पादन आरंभ होने की तिथि से 5 वर्ष होगी।

(iii) मैसर्स अभिजीत एमएडीसी नागपुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एएमएनईपीएल) 6.2654 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 25 मेगावाट का डीजी सेट स्थापित करने, प्रचालित करने और अनुरक्षित करने के लिए तथा विद्युत के पारेषण एवं वितरण और मिहान एसईजेड के अंदर पारेषण एवं वितरण की सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए मिहान, नागपुर में एमएडीसी एसईजेड में अनुमोदित सह विकासक है। इसके बाद

एएमएनईपीएल ने प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों को संचालित करने के लिए मंजूरी प्राप्त की। 29 जनवरी, 2009 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का सीमांकन परिवर्तित करने के लिए विकासक से संपर्क किया ताकि विद्युत दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन किया जा सके। विकासक ने उनको सूचित किया कि वे इस आवश्यकता का पालन करने में समर्थ नहीं होंगे और इसलिए उनसे एसईजेड में यूनिट के रूप में आने के लिए कहा। सह विकासक ने इस मुद्दे पर अनुमोदन बोर्ड का मार्गदर्शन मांगा है।

विचार विमर्श तथा कोई निर्णय लेने के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.6 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	राज्य कोड	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
i.	लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	गांव रामदासपुर, कटक जिला, उड़ीसा	ओआर	सोलर	101.17	नहीं	हां, सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था
ii.	कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	अंगामली गांव, एर्नाकुलम, केरल	केएल	एयरपोर्ट आधारित एसईजेड	100	हां	हां	नया
iii.	डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (डीआईएलएचएल)	बाचूपल्ली गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	आईटी / आईटीईएस	12.14	हां	हां	8 दिसंबर 2008 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था
iv.	डेक्कन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड (डीआईएलएचएल)	मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	एपी	आईटी / आईटीईएस	35.95	हां	हां	8 दिसंबर 2008 को आयोजित बीओए बैठक में आस्थगित किया गया था

v.	ब्रुक बांड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	बंगलौर, कर्नाटक	केएन	आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / ईएच	11.39	हां	हां	नया
vi.	लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड	कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु	टीएन	आईटी / आईटीईएस	11.0388	हां	हां	नया
vii	कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शिमोगा, कर्नाटक	केएन	आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर	14.50	हां	हां	नया

मद संख्या 35.7 : सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स स्पैन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्‌वारा स्थापित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) का अनुरोध

उक्त एसईजेड कोयंबटूर, तमिलनाडु में 10 जुलाई 2007 को 10.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। मैसर्स रतिनाम अरुमुगम रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन (रेयर) ने उक्त एसईजेड के 4.10 हेक्टेयर में आवासीय, शैक्षिक, स्वास्थ्य देखरेख तथा मनोरंजन सुविधा के विकास एवं अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्‌ध था। इसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि करार में उल्लिखित वाणिज्यिक करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। सह विकासक ने संशोधित सह विकासक करार दिनांक 6 मई 2009 प्रस्तुत किया तथा 1 जून 2009 को सह विकासक करार में संशोधन किया गया। 2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पुन: शामिल किया गया तथा वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि के अनुरोध पर आस्थगित कर दिया गया क्योंकि प्रस्ताव को पढ़ने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता थी। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(ii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्‌वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्‌वारा भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स सप्तगिरि हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) ने उक्त एसईजेड में एक हास्पिटलिटी परियोजना

स्थापित करने तथा 4 हेक्टेयर की भूमि में एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापनाओं को हास्पिटलिटी सेक्टर में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक हास्पिटलिटी यूनिट के लिए पूर्ण आधारभूत सुविधाओं का विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करेगा तथा उक्त हास्पिटलिटी अवसंरचना परियोजना से संबंधित अधिकृत प्रचालनों का संचालन करेगा। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 7 मार्च 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सप्तगिरी हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एसएचपीएल) का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स दाहेज हास्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीएचपीएल) ने उक्त एसईजेड में एक हास्पिटलिटी परियोजना स्थापित करने तथा 8 हेक्टेयर भूमि में एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापनाओं को हास्पिटलिटी सेक्टर में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक उक्त एसईजेड में हास्पिटलिटी परियोजना का विकास, प्रचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करेगा तथा एसईजेड में यूनिटों / निवासियों / अन्य स्थापनाओं को हास्पिटलिटी सेक्टर में सेवाएं प्रदान करेगा तथा एसईजेड में हास्पिटलिटी परियोजना का अनुरक्षण करेगा। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 19 मार्च 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) डीएलएफ सिटी, गुड़गाव, हरियाणा में मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड ने गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए सह उत्पादन प्लान की स्थापना के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच करार दिनांक 16 अप्रैल 2008 उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव 4 जून 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध था। राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे आस्थगित कर दिया गया था। इसे 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में फिर से शामिल किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि गतिविधियां ऐसी हैं कि एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 6 (क) के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी यूनिट द्वारा यह किया जाना चाहिए और सह विकासक

का दर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सकारात्मक एनएफई प्राप्त करना होगा। तथापि, यदि यूनिट गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में हो तो वह अपने प्रचालनों के लिए उपभोज्य वस्तुओं एवं कच्चे माल के लिए पात्र नहीं होगी। मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा सिलोखेड़ा, गड़गांव, हरियाणा में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड के अन्य तीन प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड द्वारा 4 जून 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। सह विकासक ने अनुरोध किया है कि सह विकासक के लिए उसके चौथे प्रस्ताव पर विचार किया जाए जो सह विकासक के पिछले तीन अनुमोदित प्रस्तावों के समान है। सह विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुन: विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(v) नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसीस) द्वारा विकसित बहु उत्पाद्द एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल) ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.2 हेक्टेयर (25.252 एकड़) के क्षेत्रफल में एक आवासीय टाउनशिप का विकास करने और सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं साथ उसमें भवन यूनिटों का निर्माण करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 27 अगस्त 2008 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(vi) पनवेल, महाराष्ट्र में मैसर्स सन्नी विस्टा रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इक्सोरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इक्सोरा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने विद्युत वितरण अवसंरचना प्रदान करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 25 जून 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ईटीएल इनफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा उथुकुली, पेरुंदुरई जिला, तमिलनाडु में टेक्सटाइल एसईजेड को 9 जून 2008 को 103.64.57 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया। मैसर्स ग्रेट इंडियन लिनेन एंड इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 22 सितंबर 2008 और 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार बहुत स्पष्ट नहीं था। सह विकासक ने पुन: संशोधित सह विकासक करार प्रस्तुत किया और उस पर 2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। बैठक का कार्यवृत्त नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि शुरू में प्रस्तुत किए गए सह विकासक करार में विचार करने के लिए कोई उपबंध नहीं था। हालांकि सह विकासक ने एक उपयुक्त उपबंध शामिल करके करार को संशोधित किया है, यह नोट किया गया है कि करार की तिथि पहले जैसी अर्थात 24 मार्च 2008 ही है। यह भी देखा गया कि करार को दो बार संशोधित करने के बावजूद यही तिथि रखी गई है। राजस्व विभाग का प्रतिनिधि यह आश्वस्त होना चाहता था कि तिथि में परिवर्तन न होने का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि की यह राय थी कि इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है यदि मूल करार में यह उपबंध हो कि अगले संशोधन भी करार की मूल तिथि से प्रभावी होंगे। मद को आस्थगित करने तथा एक नया संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विकासक से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।"

अब सह विकासक ने निवेदन किया है कि मूल करार 24 मार्च 2008 को हुआ था तथा 23 जून 2009 को उसमें संशोधन किए गए थे। संशोधन मूल करार दिनांक 24 मार्च 2008 से संबंधित है और यह मूल करार का अंग है। इसे ध्यान में रखते हुए सह विकासक ने सह विकासक के अपने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। सह विकासक का अनुरोध पुन: विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 29 फरवरी 2008 तथा शुद्धिपत्र दिनांक 10 नवंबर 2008 उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव पर 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा वेयर हाउसिंग की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने एमपीएसईजेड में पहले से मौजूद 9 प्रचालनरत सीएफएस की ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक अतिरिक्त सीएफएस के औचित्य की और जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि सीएफएस मुख्य रूप से डीटीए आयातकों / निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यह महसूस किया गया कि विलयित एसईजेड के लिए नई अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता की जांच की जा सकती है। तद्नुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

विलयित एसईजेड की नई अधिसूचना 27 मई 2009 को जारी हो चुकी है। सह विकासक ने अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण प्रदान किया है जो अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है। अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता पर विकास आयुक्त, मुंद्रा से रिपोर्ट मंगाई गई है। सह विकासक का अनुरोध पुन: विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) अत्चुत्पुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा विकसित टेक्सटाइल एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ब्रांडिक्स इंडिया अपैरल सिटी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा 404.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अत्चुत्पुरम मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स अधिष्ठान इनवेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मनोरंजन की सुविधाओं के निर्माण एवं प्रबंधन के साथ आवासीय आवासों के निर्माण एवं सबलीजिंग के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उक्त एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 99.62 हेक्टेयर की भूमि के सह विकास के लिए विकासक और सह विकासक के बीच प्राधिकार करार दिनांक 9 जुलाई 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(x) मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए जीआईडीसी का अनुरोध

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भड़ूच, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। जीआईडीसी ने उक्त एसईजेड में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सह विकासक करार की बजाय आवेदक को एमओयू प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अलावा उपबंध 9 के माध्यम से एमओयू में भी यह निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक पक्ष के अधिकारों एवं बाध्यताओं तथा वाणिज्यिक शर्तों का भी उल्लेख करते हुए एक विस्तृत करार किया जाएगा और पक्षों के बीच यथाशीघ्र निष्पादित किया जाएगा। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि जीआईडीसी अनुमोदनबोर्ड के विचारार्थ एक विस्तृत सह विकासक करार प्रस्तुत करे। अब जीआईडीसी ने दाहेज एसईजेड में कुछ आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए जीआईडीसी तथा मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड के बीच सह विकासक करार दिनांक 17 जुलाई 2009 प्रस्तुत किया है। यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुन: अधिसूचित किया गया।

उपर्युक्त एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर 30 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। अनुरोध पर विचार करते समय अनुमोदन बोर्ड ने अन्य बातों के साथ निदेश दिया कि विकास आयुक्त, एमईपीजेड-एसईजेड नोकिया फेसिलिटी का दौरा कर सकते हैं और संगत मानचित्रों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें होटल तथा अन्य सुविधाओं जैसे कि स्कूल, क्लीनिक / अस्पताल, कार्यालय स्थान / शॉपिंग अर्केड आदि जिनके लिए विकासक द्वारा अनुरोध किया गया है, के लिए प्रस्तावित निर्माण योजना का विस्तृत विवरण हो। मामला 19 अक्टूबर 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में पुन: शामिल किया गया। उक्त बैठक में विकासक ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। विकास

आयुक्त, एमईपीजेड-एसईजेड ने अब नोकिया एसईजेड के प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र का ब्यौरा प्रदान किया है जो अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है।

अब मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड (अपोलो) ने 2.9 एकड़ के क्षेत्रफल में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में क्रेच के साथ 60 बिस्तर वाले अस्पताल के निर्माण, स्थापना और प्रचालन के लिए नोकिया एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 27 जुलाई 2009 उपलब्ध कराया गया है। यह अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.8 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 21.13 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 27 मई 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.		अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)
1	परिवहन अवसंरचना			
	(क)	ट्रक टर्मिनल	2500 वर्ग मीटर	--
	(ख)	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	500 वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर
	(ग)	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	2000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर
	(घ)	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	1000 वर्ग मीटर	--
	(ङ.)	हेलीपैड - 1	--	15000 वर्ग मीटर
	(च)	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	(छ)	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	1
2	(क)	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	20 मेगावाट	10 मेगावाट

3	(क)	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	1
4	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			
	(क)	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	15000 वर्ग मीटर	--
	(ख)	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	8000 वर्ग मीटर
	(ग)	व्यवसाय / सम्मेलन / प्रदर्शनी केन्द्र	--	25000 वर्ग मीटर
	(घ)	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	4000 वर्ग मीटर	--
	(ड.)	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	300 वर्ग मीटर	200 वर्ग मीटर
	(च)	स्काईवाक	1300 वर्ग मीटर	1200 वर्ग मीटर
	(छ)	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	500 वर्ग मीटर
	(ज)	डाक, तार घर	--	500 वर्ग मीटर
	(झ)	बैंक / एटीएम	--	500 वर्ग मीटर
	(ञ)	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	500 वर्ग मीटर
	(ट)	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	2500 वर्ग मीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	(क)	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	105600 वर्ग मीटर	105600 वर्ग मीटर
	(ख)	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3

	(ग)	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	(घ)	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
6	(क)	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	12043 वर्ग मीटर	12043 वर्ग मीटर

(ii) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 38.28 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 08 **मई** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन		प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)
1	परिवहन अवसंरचना			
	(क)	ट्रक टर्मिनल	2500 वर्ग मीटर	1500 वर्ग मीटर
	(ख)	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	900 वर्ग मीटर	600 वर्ग मीटर
	(ग)	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहु मंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	3500 वर्ग मीटर	2500 वर्ग मीटर
	(घ)	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	1500 वर्ग मीटर	--
	(ड.)	हेलीपैड - 1	--	15000 वर्ग मीटर
	(च)	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	(छ)	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	1	1
2	(क)	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	30 मेगावाट	20 मेगावाट

3	(क)	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	1
4	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			
	(क)	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	30000 वर्ग मीटर	--
	(ख)	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	10000 वर्ग मीटर
	(ग)	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर
	(घ)	व्यवसाय / सम्मेलन / प्रदर्शनी केन्द्र	--	30000 वर्ग मीटर
	(ड.)	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	8000 वर्ग मीटर	--
	(च)	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	600 वर्ग मीटर	400 वर्ग मीटर
	(छ)	स्काईवाक	2600 वर्ग मीटर	2400 वर्ग मीटर
	(ज)	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	1000 वर्ग मीटर
	(झ)	डाक, तार घर	--	1000 वर्ग मीटर
	(ञ)	बैंक / एटीएम	--	1000 वर्ग मीटर
	(ट)	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	1000 वर्ग मीटर
	(ठ)	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	5000 वर्ग मीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	(क)	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	200150 वर्ग मीटर	182650 वर्ग मीटर
	(ख)	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3
	(ग)	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	(घ)	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1

6	(क)	**इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र** **इंटरनेट डाटा केन्द्र** - (**इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं**)	22816 **वर्ग फीट**	20821 **वर्ग फीट**

(iii) उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-सी एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा उल्वी, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.77 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 12 **मार्च** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	**परिवहन अवसंरचना**			
	(क)	**ट्रक टर्मिनल**	1250 **वर्ग मीटर**	750 **वर्ग मीटर**
	(ख)	**बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप**	350 **वर्ग मीटर**	250 **वर्ग मीटर**
	(ग)	**पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)**	1200 **वर्ग मीटर**	800 **वर्ग मीटर**
	(घ)	**कस्टम गेट कंप्लेक्स** (500 **वर्गमीटर के बाद**)	1000 **वर्ग मीटर**	--
	(ड.)	**हेलीपैड** - 1	--	15000 **वर्ग मीटर**
	(च)	**आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम**	1	1
	(छ)	**वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर**	1	1
2	**(क)**	**विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली :** **डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस**	20 **मेगावाट**	10 **मेगावाट**
3	(क)	**ईंधन प्रणालियां :** **कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल** 2500 **वर्गमीटर होगा**)	--	1
4	**भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं**			

	(क)	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	8000 वर्ग मीटर	--
	(ख)	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	--	4000 वर्ग मीटर
	(ग)	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	300 वर्ग मीटर	200 वर्ग मीटर
	(घ)	व्यवसाय / सम्मेलन / प्रदर्शनी केन्द्र	--	10000 वर्ग मीटर
	(ड.)	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	2000 वर्ग मीटर	--
	(च)	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	150 वर्ग मीटर	100 वर्ग मीटर
	(छ)	स्काईवाक	900 वर्ग मीटर	400 वर्ग मीटर
	(ज)	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	--	300 वर्ग मीटर
	(झ)	डाक, तार घर	--	300 वर्ग मीटर
	(ञ)	बैंक / एटीएम	--	300 वर्ग मीटर
	(ट)	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	--	300 वर्ग मीटर
	(ठ)	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	--	1200 वर्ग मीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	(क)	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	60200 वर्ग मीटर	47500 वर्ग मीटर
	(ख)	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	3	3
	(ग)	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	(घ)	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1

6	(क)	**इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र** **इंटरनेट डाटा केन्द्र** - (**इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल**, **आईटी हार्डवेयर**, **साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं**)	6862 **वर्ग मीटर**	5415 **वर्ग मीटर**

(iv) कालंबोली, नवी मुंबई में आईटी / आईटीईएस-ए एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा कालंबोली, **नवी मुंबई में आईटी** / **आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 103.0727 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 11 **अगस्त** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद** 19 **मई** 2009 **को अतिरिक्त क्षेत्रफल के रूप में** 30.5488 **हेक्टेयर अधिसूचित किया गया। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.		अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)
1	परिवहन अवसंरचना			
	(क)	ट्रक टर्मिनल	9000 **वर्ग मीटर**	1000 **वर्ग मीटर**
	(ख)	बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप	11500 **वर्ग मीटर**	3500 **वर्ग मीटर**
	(ग)	पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)	60000 **वर्ग मीटर**	20000 **वर्ग मीटर**
	(घ)	कस्टम गेट कंप्लेक्स (500 वर्गमीटर के बाद)	3000 **वर्ग मीटर**	--
	(ड.)	हेलीपैड - 1	--	15000 **वर्ग मीटर**
	(च)	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1	1
	(छ)	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	4	1
2	निस्सारी / अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली			
	(क)	रिसाइकल ग्राउंड वाटर टैंक	--	10000 **घनमीटर**
	(ख)	रिसाइकल ग्राउंड वाटर के लिए पंपिंग स्टेशन	1	2
	(ग)	उपर्युक्त पंप हाउस के लिए पंपिंग स्टेशन तथा डिस्पोजल पाइप लाइनें	1	2
3	(क)	विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली : डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस	50 **मेगावाट**	10 **मेगावाट**

4	(क)	ईंधन प्रणालियां : कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर होगा)	--	3
5	भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं			
	(क)	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	75000 वर्ग मीटर	--
	(ख)	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	16000 वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर
	(ग)	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	1600 वर्ग मीटर	400 वर्ग मीटर
	(घ)	व्यवसाय / सम्मेलन / प्रदर्शनी केन्द्र	50000 वर्ग मीटर	--
	(ड.)	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	15000 वर्ग मीटर	--
	(च)	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	1500 वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर
	(छ)	स्काईवाक	37500 वर्ग मीटर	12500 वर्ग मीटर
	(ज)	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	1500 वर्ग मीटर	1500 वर्ग मीटर
	(झ)	डाक, तार घर	--	5000 वर्ग मीटर
	(ञ)	बैंक / एटीएम	1500 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर
	(ट)	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर
	(ठ)	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	7500 वर्ग मीटर	2500 वर्ग मीटर
6	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	(क)	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	1010000 वर्ग मीटर	326200 वर्ग मीटर
	(ख)	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	14	3
	(ग)	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	(घ)	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1

7	(क)	**इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र** **इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)**	74500 **वर्ग फीट**	--

(v) कालंबोली, नवी मुंबई में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा कालंबोली, नवी मुंबई में बहु सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 176.7080 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 28 **अगस्त** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.		**अधिकृत प्रचालन**	**प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**	**गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (मात्रा वर्गमीटर में / संख्या)**
1	**परिवहन अवसंरचना**			
	(क)	**ट्रक टर्मिनल**	10000 **वर्ग मीटर**	--
	(ख)	**बस शेल्टर, बस टर्मिनल एवं वर्कशॉप**	10000 **वर्ग मीटर**	5000 **वर्ग मीटर**
	(ग)	**पार्किंग की सुविधाएं (ओपन एवं बहुमंजिली, मैनुअल या स्वचालित)**	60000 **वर्ग मीटर**	20000 **वर्ग मीटर**
	(घ)	**कस्टम गेट कंप्लेक्स** (500 **वर्गमीटर के बाद**)	3000 **वर्ग मीटर**	--
	(ङ.)	**हेलीपैड** - 1	--	15000 **वर्ग मीटर**
	(च)	**आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम**	1	1
	(छ)	**वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर**	3	2
2	(क)	**विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली :** **डीजी पावर जेनसेट / बैकअप / यूपीएस**	50 **मेगावाट**	10 **मेगावाट**
3	(क)	**ईंधन प्रणालियां :** **कैप्टिव उपभोग के लिए तरल एवं गैसीय ईंधन का भंडारण एवं वितरण ईंधन स्टेशन (प्रत्येक ईंधन स्टेशन का क्षेत्रफल** 2500 **वर्गमीटर होगा)**	--	3
4	**भवन, कार्यालय तथा अन्य संबद्ध सुविधाएं**			

	(क)	लॉजिस्टिक्स सेंटर जिसमें शामिल होंगे : ट्रक पार्किंग सामग्री भंडारण एवं माल गोदाम सामग्री हैंडलिंग सिस्टम लोडिंग / अनलोडिंग की सुविधाएं नापतोल तथा आयतन मापन की सुविधाएं माल गोदाम, प्रयोगशाला, कारपेंटरी, फैब्रीकेशन आदि वर्कशॉप	75000 वर्ग मीटर	--
	(ख)	सामाजिक / स्वच्छता की सुविधाओं के साथ कामगार / श्रमिक आवास	16000 वर्ग मीटर	4000 वर्ग मीटर
	(ग)	स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय तथा चौकियां	1700 वर्ग मीटर	300 वर्ग मीटर
	(घ)	व्यवसाय / सम्मेलन / प्रदर्शनी केन्द्र	50000 वर्ग मीटर	--
	(ड.)	अनुसंधान एवं विकास / प्रशिक्षण की सुविधाएं	15000 वर्ग मीटर	--
	(च)	जन सुविधाएं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	1500 वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर
	(छ)	स्काईवाक	37500 वर्ग मीटर	12500 वर्ग मीटर
	(ज)	पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट	1500 वर्ग मीटर	1500 वर्ग मीटर
	(झ)	डाक, तार घर	--	5000 वर्ग मीटर
	(त्र)	बैंक / एटीएम	1500 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर
	(ट)	टेलीफोन बूथ, इंटरनेट कैफे आदि	1000 वर्ग मीटर	1000 वर्ग मीटर
	(ठ)	फूड सर्विस जैसे कि कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाएं	7500 वर्ग मीटर	2500 वर्ग मीटर
5	सुरक्षा, सुरक्षा प्रणालियां, अक्सेस कंट्रोल तथा निगरानी प्रणाली			
	(क)	सुरक्षा टावर एवं नेटवर्क, निगरानी, आसूचना अक्सेस कंट्रोल, स्वचालित सुरक्षा प्रबंधन	1195900 वर्ग मीटर	571200 वर्ग मीटर
	(ख)	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	14	3
	(ग)	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1	1
	(घ)	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1	1
6	(क)	इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सामान्य डाटा केन्द्र इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	74500 वर्ग फीट	--

(vi) द्रोणगिरि, नवी मुंबई में बहु उत्पद्द एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड लिमिटेड द्वारा द्रोणगिरि, नवी मुंबई में बहु उत्पद्दों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 1223.6767 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 21 **नवंबर** 2007 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन		प्रसंस्करण क्षेत्र	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र
1.	इंटरनेट सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं			
	क	डक्ट	2591 किमी	2209 किमी
	ख	ऑप्टिक फाइबर केबल	49 किमी	41 किमी
	ग	दूरसंचार, संचार, मीट मी रूम, प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (पीओपी)	5398 वर्ग फीट	4602 वर्ग फीट
	घ	एसईजेड विकास के लिए साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर (प्रचालन, नेटवर्किंग, प्रजेंटेशन टूल) (उदाहरण के लिए निर्माण, इंजीनियरिंग तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि)	1 लाट	1 लाट
	ड.	ऑफिस आटोमेशन सिस्टम (उदाहरण के लिए नेटवर्किंग, लैन, वैन, पीसी, सर्वर, स्कैनर, प्लाटर आदि)	648 प्रयोक्ता	552 प्रयोक्ता
	च	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए परामर्श सेवाएं तथा संचार सेटअप	108 आदमी माह	92 आदमी माह
	छ	इंटरनेट डाटा केन्द्र - (इसमें डाटा केन्द्र की सेवाएं प्रदान करने के लिए सिविल, आईटी हार्डवेयर, साफ्टवेयर आदि जैसी मदें शामिल हैं)	260000 वर्ग फीट	--
	ज	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए परामर्श सेवाएं तथा संचार सेटअप	108 आदमी माह	92 आदमी माह
2.	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली			
	क	वाहन निर्णय सिस्टम तथा यातायात प्रबंधन सिस्टम - साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	3	2
	ख	स्पीड निगरानी तथा कंट्रोल - साफ्टवेयर और हार्डवेयर	8	7
	ग	अक्सेस कंट्रोल प्रबंधन	1 लाट	1 लाट
	घ	निगरानी और अनुवेदन प्रणाली	1 लाट	1 लाट
	ड.	आवक / जावक माल वाहनों के लिए टिकट सिस्टम	1 लाट	1 लाट

(vii) बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड द्वारा बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 18 **नवंबर** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग**	13500
2.	**विद्युत** (100 **प्रतिशत डीजी बैकअप की सुविधाओं सहित**)	**कुल पावर** - 66 **केवीए** (**जीईबी सब स्टेशन**)
3.	**क्लब हाउस, इंडोर गेम तथा जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं**	100
4.	**कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस**	3000
5.	**निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं**	--
6.	**कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं**	--
7.	**पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र**	--
8.	**वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं**	--

(viii) मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 103 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 24 **अप्रैल** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 9 **के अनुसरण में प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों में अधिकृत प्रचालनों** (**डिफाल्ट प्रचालनों से भिन्न**) **के लिए अनुमोदन**

प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**प्रशासन भवन**	2372
2.	**सेंट्रल वेयरहाउस**	4800
3.	**क्रेच**	200

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**कॉमन कैंटीन** (500 **लोगों के लिए किचन और डाइनिंग**)	750
2.	**लॉन्ड्री**	400

3.	ओएचसी / प्राथमिक उपचार केन्द्र	300
4.	इलेक्ट्रानिक तोल सेतु	40 टन
5.	कामर्सियल एंड शॉपिंग काम्प्लेक्स	2415
6.	स्वास्थ्य देखरेख / 50 बिस्तर वाला अस्पताल	1800
7.	अतिथि गृह	1400
8.	क्रेच	250
9.	आवास (आवासीय फर्निश्ड बैचरलर एवं फेमिली आवास)	3400
10.	प्रेक्षागृह	250
11.	ओपन एयर थिएटर	405
12.	मनोरंजन सह क्लब हाउस	1550
14.	पार्किंग एरिया (मल्टी लेवल)	400
15.	हेलीपैड	एकमुश्त
	प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र	
16.	5 मीटर ऊंचे सुरक्षा टावर तथा फ्लड लाइटें, वाकी टाकी, केबिन	8

एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 27 (3) के अनुसरण में अनुमोदन के लिए प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुविधाओं के लिए मदें / वस्तुएं

गैर प्रसंस्करण क्षेत्र :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	सुविधा में वस्तुओं / मदों की आवश्यकता	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	कॉमन कैंटीन (500 लोगों के लिए किचन और डाइनिंग)	कैंटीन फर्नीचर (125 सेट) किचन उपकरण (1 लाट)	750
2.	लॉन्ड्री	लॉन्ड्री उपकरण (1 लाट)	400
3.	ओएचसी / प्राथमिक उपचार केन्द्र	प्राथमिक उपचार / ओएचसी के लिए फर्नीचर (1 लाट)	300

(ix) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 17.189 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 27 अक्टूबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है:

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल
1.	क्रेच	2750 वर्ग फीट
2.	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन, क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं	250 वर्ग मीटर
3.	फूड कोर्ट	2000 वर्ग फीट
4.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	1000 वर्ग मीटर
5.	हाउसिंग या सर्विस अपार्टमेंट - आवासीय - सर्विस अपार्टमेंट, आवासीय क्षेत्र	200000 वर्ग मीटर
6.	मनोरंजन की सुविधाएं - कामर्सियल / शॉपिंग मॉल जिसमें फूड कोर्ट आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं, मनोरंजन एवं मनोविनोद क्षेत्र, बैंकिंग, पुस्तकालय, कामर्सियल सह शॉपिंग क्षेत्र	400 वर्ग मीटर
7.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	2000 वर्ग मीटर
8.	शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	5000 वर्ग मीटर

(x) एमएडीसी द्वारा मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 **मई** 2007 **को** 1511.51 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद** 66.90 **हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल** 1578.41 **हेक्टेयर हो गया। मैसर्स कोलैंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड** 8 **अगस्त** 2007 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में** 40.46 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है** :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल
1.	प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर सेवा अपार्टमेंट	9090 वर्ग मीटर (प्रत्येक 101 वर्गमीटर की 90 यूनिट)
2.	रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग सुविधाएं, कैफेटेरिया एवं फूड कोर्ट सहित फूड सेवाएं	प्रत्येक चरण के लिए 5000 वर्ग मीटर कुल 4 चरण कुल क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर (कुल बिल्ट अप एरिया 900000 वर्ग मीटर है)
3.	बिजनेस सेंटर, सम्मेलन हॉल	5,000 वर्ग मीटर
4.	एटीएम, क्रेच जैसी कर्मचारी कल्याण सुविधाएं	1) एटीएम - 100 वर्गमीटर (कुल 3 एटीएम) 2) क्रेच - 500 वर्ग मीटर
5.	क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं	6,000 वर्ग मीटर
6.	बैकअप आदि के लिए विद्युत एवं अन्य अवसंरचना	75 मेगावाट
7.	मल्टीलेवल पार्किंग ब्लॉक सहित पार्किंग	सभी 4 चरणों के लिए कुल 280000 वर्ग मीटर पार्किंग क्षेत्र

		कुल बिल्ट अप क्षेत्र 900000 वर्ग मीटर है
8.	क्लीनिकल एवं मेडिकल सेंटर्स	500 वर्ग मीटर

(xi) बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्रइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स क्वेस्ट एसईजेड डवलपमेंट प्रइवेट लिमिटेड बेलगाम, कर्नाटक में प्रिसीजन इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 106.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 4 अगस्त 2008 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	अतिथि गृह	1000

(xii) पनवेल, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 19 फरवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	प्रसंस्करण क्षेत्र	गैर प्रसंस्करण क्षेत्र
1.	आवासीय आवास	--	200, 790 वर्ग मीटर (लगभग 1500 यूनिट)
2.	मल्टीलेवल वाहन पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित / मैनुअल)	57,595 वर्ग मीटर	55,813 वर्ग मीटर
3.	विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)	40 मेगावाट (10000 केवीए)	40 मेगावाट (4000 केवीए)
4.	पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र	✓	--
5.	सभी गगनचुंबी भवनों में स्प्रिंकलर, फायर एवं स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर टेंडर, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	✓	✓
6.	प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली	✓	--
7.	स्वीमिंग पूल	--	800 वर्ग मीटर
8.	क्लब हाउस, इंडोर / आउटडोर गेम तथा जिम, मनोरंजन क्षेत्र आदि सहित मनोरंजन की सुविधाएं	--	17,053 वर्ग मीटर
9.	खेल के मैदान	14,574 वर्ग मीटर	44,985 वर्ग मीटर

10.	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस	9,232 वर्ग मीटर	--
11.	बस बे, परिवहन, परिवहन स्टैंड	✓	✓
12.	औजारों और उपकरणों के साथ प्राथमिक उपचार केन्द्र / डिस्पेंसरी	100 वर्ग मीटर	--
13.	सुविधा प्रबंध कार्यालय	25 वर्ग मीटर	25 वर्ग मीटर
14.	पावर स्टेशन	---	6,900 वर्ग मीटर
15.	टेलीफोन एक्सचेंज	360 वर्ग मीटर	--
16.	वर्कर्स कैंटीन	500 वर्ग मीटर	500 वर्ग मीटर
17.	परियोजना कार्यालय	--	2000 वर्ग मीटर

(xiii) महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्‌वारा जयपुर, राजस्थान में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्‌वारा जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 27 मार्च 2008 को 78.92 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 155.02 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। 14 अगस्त, 2008 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। उक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	बहिःस्त्रावी शोधन संयंत्र	2,000

(xiv) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 31.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 26 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है:

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	मल्टी पर्पज हॉल / ऑडिटोरियम	37,400

(xv) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेन्नई द्‌वारा महिंद्रा सिटी, चेन्नई में विकसित आईटी एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

उक्त एसईजेड 265.6 **हेक्टेयर के कुल क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** 8 **अगस्त** 2007 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में** 52.21 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है**:

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)**
1.	**बहिःस्त्रावी शोधन संयंत्र**	500
2.	**एंफीथिएटर**	2,500

मद संख्या 35.9 : सरकारी / रक्षा उपक्रम की डीटीए यूनिट से जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने हेतु मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड, बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्‌वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड फोर्जिंग रिंग के निर्माण और निर्यात के लिए बड़ोदरा, गुजरात में मैसर्स सुजलोन इंजीनियरिंग एसईजेड द्‌वारा इंजीनियरिंग के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट के रूप में अनुमोदित था। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने मिश्र धातु लिमिटेड (मिधानी) (भारत सरकार का उपक्रम) जो डीटीए यूनिट है, नामक सरकारी उपक्रम से आर्डर प्राप्त किया है क्योंकि वे एसईजेड में डीटीए यूनिट के लिए जॉब वर्क करने और डीटीए के लिए परवर्ती स्वीकृति चाहते हैं। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने यह भी कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 43 **के अनुसार कोई एसईजेड यूनिट डीटीए यूनिट / निर्यातक की ओर से सब कंट्रेक्टिंग (जॉब वर्क) कर सकती है परंतु उक्त माल का निर्यात सीधे एसईजेड से होना चाहिए।**

एसईजेड नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एसईजेड यूनिट एसईजेड में डीटीए यूनिट की ओर से जॉब वर्क कर सकती है और फिर एसईजेड में की गई प्रोसेसिंग के कारण मूल्य वृद्‌धि के ऐसे अनुपात पर शुल्क का भुगतान करके भी प्रोसेसिंग के बाद डीटीए यूनिट को उसे वापस कर सकती है। अनुरोध के साथ विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड के सुझाव अनुबंध 4 **के रूप में संलग्न हैं। विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 43 **में छूट प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण प्रयोग के लिए सरकारी / रक्षा उपक्रम हेतु किए जाने वाले जॉब वर्क को ध्यान में रखते हुए जॉब वर्क करने की विशेष अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।**

मद संख्या 35.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 25 मामले प्राप्त हुए हैं। अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में 53 मामलों को एक साल के लिए समय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। एक साल के लिए अवधि बढ़ाने हेतु ये मामले भी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(i) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 26 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

(ii) सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इंदू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iii) सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्राह्मणी इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) आंध्र प्रदेश में अपैरल एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी एसईजेड के लिए 22 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) वेरना, गोवा में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए 18 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इनोक्स मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vii) वेरना, गोवा में रत्न एवं आभूषण एसईजेड के लिए 26 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स प्लांटव्यू मर्केंटाइल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गोवा में जैव प्रौद्योगिकी एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पेनिनसुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(ix) ताडीपुडी गांव, तल्लापुडी मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, कोवूर के पास, आंध्र प्रदेश में प्रिंटिंग पेपर मिल के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स व्हाइट फील्ड पेपर मिल्स लिमिटेड का अनुरोध

(x) बादशाहपुर गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 5 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(xi) मोजे कोबा, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 30 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अक्वालाइन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 12 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कोंकोर्ड इनवेस्टमेंट का अनुरोध

(xiii) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए 18 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज का अनुरोध

(xiv) सेदरपेट, करासुर, पांडिचेरी में बहु उत्पाद्द एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

(xv) हसन, कर्नाटक में टेक्सटाइल उद्योग एसईजेड के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xvi) हसन, कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xvii) हसन, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल उद्योग एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xviii) शिमोगा, कर्नाटक में आटोमोटिव और आटो कंपोनेंट के लिए 10 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xix) मंगलोर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 जून 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केआईएडीबी का अनुरोध

(xx) मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 4 सितंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

(xxi) भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव जिला, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 24 नवंबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxii) मोहाली, पंजाब में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 30 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxiii) मुलुगू मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

(xxiv) गोपनपल्ली गांव, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेटास इंटरप्राइजेज एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxv) खुर्दा, उड़ीसा में आईटी एसईजेड के लिए 24 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इडको का अनुरोध

(xxvi) कक्कनचेरी - मल्लापुरम, केरल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए 5 जुलाई 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(xxvii) त्रिक्काकरा, एर्नाकुलम, केरल में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के लिए 20 अगस्त 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

(xxviii) मेडक जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपिक) का अनुरोध

(xxix) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए 25 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स बागमेन डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(xxx) पोलीपल्ली, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल फार्मुलेशन एसईजेड के लिए 26 अक्टूबर 2009 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपिक) का अनुरोध

मद संख्या 35.11 : क्षेत्रफल बढ़ाने / घटाने के लिए अनुरोध

(i) रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सन्नी विस्टा रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रायगढ़, महाराष्ट्र में सेवा एसईजेड के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 139.83 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 19 **फरवरी** 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने उक्त एसईजेड में** 63.70 **हेक्टेयर शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। उक्त प्रस्ताव** 19 **जून** 2008 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सूचीबद्ध था। नोट किया गया कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि का कुछ भाग मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे के अधीन है और कुछ भाग बिखरा हुआ है। बोर्ड ने कहा कि भूमि का फिर से निरीक्षण किया जाए और विकास आयुक्त द्वारा रिपोर्ट दाखिल की जाए। तथापि, विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुरोध पर पहले फाइल पर प्रस्ताव की जांच करने और फिर प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय लिया गया। पिछली निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र का कुछ भाग मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ था और एसईजेड के दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक अंडरपास था। यह भी कहा गया कि कुछ सर्वेक्षण नंबर विकासक के कब्जे में नहीं हैं और इसलिए प्रस्तावित अतिरिक्त भूमि में उनको विकासक द्वारा शामिल नहीं किया गया है। तथापि, इन क्षेत्रों के लिए अलग से अक्सेस अर्थात मार्गाधिकार की आवश्यकता होगी जिससे उस हद तक क्षेत्रफल घट जाएगा।**

विकासक ने 63.70 **हेक्टेयर के स्थान पर** 60.41 **हेक्टेयर शामिल करने के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विकासक ने कहा था कि उन्होंने मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ स्थित भूमि के क्षेत्रफल को हटा दिया है। उन्होंने प्रस्ताव का संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया है।**

फाइल पर मामले की जांच की जा रही है तथा अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ बैठक में निष्कर्ष रखे जाएंगे।

(ii) कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में**

28 सितंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 24 सितंबर 2010 को उक्त एसईजेड में 13.40.88 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे उक्त एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 23.40.88 हेक्टेयर हो गया। विकासक ने उक्त एसईजेड में सर्वे संख्या 367/1ए2 (भाग) के तहत आने वाली भूमि के 0.7.75.78 हेक्टेयर अंश को विमुक्त करने का अनुरोध किया था। विकासक ने कहा है कि विशेष रूप से एसईजेड फार्मेट में आईटी / आईटीईएस स्पेस के लिए मांग में मंदी तथा विशेष रूप से आईटी / आईटीईएस उद्योग में वर्तमान वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण मांग और आपूर्ति में असंतुलन की स्थिति बढ़ गई है। आईटी सेक्टर से नगण्य मांग के कारण वे कोई बड़ा स्पेस पट्टा पर देने की स्थिति में नहीं हैं। विकासक ने कहा है कि यदि संपत्ति निर्माण से पूर्व लीज होल्ड नहीं होती है तो बैंक फंड प्रदान नहीं करते हैं। अत: उन्होंने क्रेताओं से आवासीय क्षेत्र के लिए मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए 7.75.78 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने का अनुरोध किया है ताकि वे अपना नकदी प्रवाह बढ़ा सकें जिसे वे एसईजेड परियोजना के निष्पादन में लगा सकते हैं। विमुक्त होने के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 15.65.10 हेक्टेयर के रूप में बना रहेगा। विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र को दर्शाने वाला मानचित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने वचन दिया है कि विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र खाली है और विमुक्तीकरण से मौजूदा एसईजेड की सन्निकटता प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि उन्होंने कोई कर / शुल्क लाभ प्राप्त नहीं किया है तथा यह भी प्रतिबद्धता की है कि वे प्रस्तावित विमुक्त क्षेत्र में विकासक की गतिविधि के लिए प्राप्त कर / शुल्क लाभ, यदि कोई हो, का पुनर्भुगतान करेंगे। तथापि, उन्होंने कहा है कि डिबेंचर होल्डर के पास स्वत्त विलेख जमा करने के रूप में विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित भूमि के विरुद्ध मोर्टगेज है। विकासक ने अनुमोदन बोर्ड में विशेष सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध

मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी द्वारा 2086 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 के एलओए के माध्यम से प्रदान किया गया था जिसमें से 1578.41 हेक्टेयर को अधिसूचित किया गया है।

इसके बाद मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पाद एसईजेड में 338.28 हेक्टेयर (गैर प्रसंस्करण क्षेत्र) के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किया गया था।

इसके बाद शेष क्षेत्र के 18.75 हेक्टेयर को अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसके लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अब विकासक ने कहा है कि वे एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 25.96 हेक्टेयर का क्षेत्रफल शामिल करना चाहते हैं। एमएडीसी ने आवासीय परियोजना के विकास के लिए 25.96 हेक्टेयर में से 10.218 हेक्टेयर (25.25 एकड़) भूमि मैसर्स महिंद्रा बेबांको डवलपर्स लिमिटेड (एमबीडीएल), प्रस्तावित सह विकासक को आवंटित की है जिसके लिए चरण 2 में 10000 मकानों (कुल निर्मित क्षेत्रफल 1700000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा) के निर्माण के लिए 16 अगस्त 2007 के पत्र के माध्यम से बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रचालनों को मंजूरी प्रदान की गई है। जिस शेष क्षेत्र को वे शामिल करना चाहते हैं वह एक मौजूदा बाहरी रोड का क्षेत्र है जिसे उन्होंने 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विमुक्त कराया था। सन्निकटता बनाए रखने के लिए विकासक अब उक्त एसईजेड को अपने पास रखना चाहता है।

एसईजेड के क्षेत्रफल में 25.96 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.12 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) पनवेल, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पनवेल, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 जुलाई 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में लगातार मंदी जिसकी वजह से आईटी कंपनियों से स्थान में वृद्धि के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हो रही है, के कारण उन्होंने अपने एसईजेड को विमुक्त कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्थिक मंदी के कारण ऊपरी खर्च बढ़ गया है और इसकी वजह से ऋण चुकाने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने पुष्टि की है कि उनको तो अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और न ही उन्होंने उक्त एसईजेड में कोई निर्माण कार्य कराया है। उन्होंने उक्त एसईजेड के लिए किसी रूप में कोई ड्यूटी लाभ या छूट भी नहीं ली है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) गुंडला पोचमपल्ली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेक्टर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मेटास वेंचर्स एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुंडला पोचमपल्ली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में बायोटेक सेक्टर के लिए 14.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 13 जून 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि वित्तीय मंदी के कारण उन्होंने अपने एसईजेड को विमुक्त कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने उक्त एसईजेड के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर के संबंध में कोई छूट प्राप्त नहीं की है। तथापि, उन्होंने 31, 46,550 रुपए के लिए सेवा कर छूट प्राप्त की है। उन्होंने अपनी दयनीय वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त सेवा कर को वापस करने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.13 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) शिमोगा, कर्नाटक में सेक्टर को आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट से बदलकर इंजीनियरिंग उद्योग करने के लिए कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड का अनुरोध

शिमोगा, कर्नाटक में 169.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन 11 जुलाई 2006 को प्रदान किया गया था। विकासक के अनुरोध पर क्षेत्रफल को 169.60 हेक्टेयर से घटाकर 101.20 हेक्टेयर किया गया तथा इसके बारे में 25 जनवरी 2008 को सूचित किया गया। अब विकासक ने कहा है कि आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योगों में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए यूनिटें आगे नहीं आ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें इंजीनियरिंग उद्योगों के बारे में पूछताछ प्राप्त हो रही हैं। विकासक ने कहा है कि इंजीनियरिंग उद्योग सेक्टर एक विस्तृत श्रेणी है तथा इंजीनियरिंग उद्योग सेक्टर में आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट उद्योगों के साथ किसी प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। अत: विकासक ने अनुरोध किया है कि सेक्टर को आटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट से बदलकर इंजीनियरिंग उद्योग किया जाए। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स फ्लैगशिप इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव पर 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने केवल आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी। 23 अगस्त, 2006 को एलओए जारी किया गया था। आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई

तथा आईटी / आईटीईएस के लिए अतिरिक्त क्षेत्र के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया। अब विकासक ने यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अनुमोदन एवं अधिसूचना में प्रयुक्त आईटी और आईटीईएस शब्द जेनरिक हैं और सामान्य प्रयोग का अभिप्राय आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर होगा और क्या वे आईटी / आईटीईएस के अलावा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए पात्र हैं। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मोती चिराई, जीजीडीसीएल एस्टेट, मोती चिराई गांव, जिला कच्छ में हस्तशिल्प एवं कारीगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए गुजरात ग्रोथ सेंटर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

गुजरात ग्रोथ सेंटर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हस्तशिल्प तथा कारीगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए आवेदन किया था। प्रस्ताव पर 5 जून, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बोर्ड ने केवल हस्तशिल्प तथा कारीगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी। 25 जून, 2007 को एलओए जारी किया गया था। अब विकासक ने मौजूदा सेक्टर में वुड आधारित हस्तशिल्प सहित टिंबर आधारित गतिविधियों को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.14 : सन्निकटता में ढील देने के लिए मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स पांडिचेरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी लिमिटेड द्वारा सदरपेट, करसूर, पांडिचेरी में बहु उत्पाद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर 8 अगस्त 2006 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। 21 अगस्त, 2006 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। एडीसी, एमईपीजेड की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उक्त एसईजेड को एक सार्वजनिक रोड दो भागों में बांट रही है और यह सदरपेट और करसूर नामक दो गांवों को जोड़ने के लिए है। अब मुख्य सचिव, पुड्डूचेरी सरकार ने सूचित किया है कि उक्त एसईजेड को स्थापित करने के लिए गठित एसपीवी ने भूमि के टुकड़ों के बीच सन्निकटता स्थापित करने का वचन दिया है। विकासक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 7 के उप नियम (2) के अनुसार सन्निकटता में ढील देने का भी अनुरोध किया है। उपर्युक्त एसईजेड के संबंध में सन्निकटता में ढील देने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.15 : आपातकालीन निकास द्वार के लिए अनुरोध

(i) विलायत, जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में कैप्टिव पावर प्लांट से अनन्य रूप से कोयले की प्राप्ति (आवक) और उड़न राख के निस्तारण (जावक) के लिए आपातकालीन निकास द्‌वार के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्‌वारा 107.16.50 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विलायत,** **जीआईडीसी, भड़ूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 11 **फरवरी** 2008 **को अधिसूचित किया गया था। बोर्ड ने** 16 **मई** 2008 **को आयोजित अपनी बैठक में अधिकृत प्रचालनों के रूप में** 50 **मेगावाट विद्‌युत उत्पादन (केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए) के लिए मंजूरी प्रदान की थी। विकासक ने उपर्युक्त एसईजेड में आपातकालीन निकास द्‌वार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।** 2 **जून** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा इस निर्देश के साथ आस्थगित किया गया कि विकासक अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ स्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करे।**

अब विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले चरण के दौरान 30 **मेगावाट का कोयला आधारित सीपीपी स्थापित करने का निर्णय लिया है। शुरू में वे हर रोज उड़न राख का निस्तारण सहित** 75 **से** 100 **ट्रकों के मूवमेंट की उम्मीद करते हैं। विकासक ने एसईजेड के उत्तर से दक्षिण तक कोयला / उड़न राख के तुलनात्मक मूवमेंट को दर्शाते हुए मास्टर प्लान की ड्राइंग के साथ संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वे दक्षिण से कोयला / उड़न राख को हैंडल करने के लिए मुख्य प्रवेश द्‌वार का प्रयोग करेंगे तो कोयला / उड़न राख से भरे ट्रक को संपूर्ण एसईजेड से होते हुए लगभग** 1.2 **किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी जिससे सड़कें खराब होंगी, अन्य रासायनिक यूनिटों के रोजमर्रा के प्रचालनों में व्यवधान उत्पन्न होंगे। इससे पूरे एसईजेड में असुरक्षित स्थितियां एवं व्यवधान उत्पन्न होंगे तथा अव्यवस्था फैलेगी। विस्तृत प्रस्ताव अनुबंध** 5 **के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।**

मद संख्या 35.16 : सैद्‌धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्‌धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 **जनवरी** 2009 **को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए :**

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्‌वारा निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।

उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

2. **यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।**

3. **अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार सैद्धांतिक अनुमोदन एक साल के लिए मान्य है तथा सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। अनिवार्य अधिग्रहण को निषिद्ध करने के संबंध में ईजीओएम के निर्णय के आलोक में, तीन साल की अवधि के अंदर 1000 हेक्टेयर सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करना कठिन हो सकता है। बहु उत्पाद एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड ने संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके।**

(i) श्रेणी 1 के मामले जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं

निम्नलिखित 4 मामले उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तथा दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
i.	मैसर्स ग्रेटर नोएडा इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग जोन प्राइवेट लिमिटेड (जीएनआईडब्ल्यूजेड)	80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड	ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी (जीएनआईडीए) ने विकासक को 44.5 हेक्टेयर का सैद्धांतिक आवंटन किया है। विकासक ने जीएनआईडीए 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जीएनआईडीए के साथ पट्टा विलेख को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमोदित मानदंडों के अनुसार 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की न्यूनतम आवश्यकता वाले क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड और स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड को दूसरी बार विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा। चूंकि उक्त एसईजेड 80 हेक्टेयर (एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के क्षेत्रफल का दोगुना) के क्षेत्रफल में

				प्रस्तावित है और विकासक को 44.5 हेक्टेयर भूमि का सैद्धांतिक आवंटन किया गया है। केवल पट्टा विलेख को अंतिम रूप देना बाकी है, निर्धारित मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।
ii.	मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील्स लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंटीग्रेटेड स्टील एसईजेड	खोपोली, तालुक खालापुर, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र	26 जून 2007 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 25 जून 2009 तक अवधि बढ़ाई गई। विकासक का 41.7 प्रतिशत भूमि पर कब्जा है। वैकल्पिक भूमि प्रदान करके उन्होंने 9.3 प्रतिशत आदिवासी भूमि के लिए बातचीत की है। निर्धारित मानदंडों में छूट प्रदान करते हुए दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।
iii.	मैसर्स बंगाल श्री इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटो कंपोनेंट	खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीआईआईडीसी ने सूचित किया है कि विकासक की संयुक्त उद्यम कंपनी बंगाल इंटीग्रेटेड आटो इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएआईपीपीएल) ने 33.47 हेक्टेयर भूमि खरीद ली है और अगले दो महीनों में 25.04 हेक्टेयर भूमि खरीदने का प्रस्ताव किया है जिससे खरीदने के बाद कुल क्षेत्रफल 58.5 हेक्टेयर हो जाएगा। आटो कंपोनेंट एसईजेड की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।
iv.	इंडियाबुल्स बिल्डर्स लिमिटेड	2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्द	थाणे जिला, महराष्ट्र	विकासक ने कहा है कि 1000 हेक्टेयर समीपवर्ती गैर कृषि भूमि के अधिग्रहण में अपेक्षित से अधिक समय लग रहा है। उपर्युक्त पैरा 3 के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बहु उत्पाद्द एसईजेड के मामले में 3 साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा संगत नियम में संशोधन करने हेतु कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि ऐसा प्रावधान शामिल किया जा सके। संगत नियमों में संशोधन का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका है तथा शीघ्र जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक विकासक को केवल एक बार समय विस्तार प्रदान किया गया है। बहु उत्पाद्द एसईजेड के लिए, प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 3 वर्षों के लिए विस्तार प्रदान किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड के निर्णय तथा प्रस्तावित संशोधन के आलोक में अपने बहु उत्पाद्द एसईजेड की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ

				प्रस्तुत है।

(ii) तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए श्रेणी II के मामले

निम्नलिखित 5 अनुरोधों में दो बार पहले ही अवधि बढ़ाई जा चुकी है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। इनमें से एक अनुरोध बहु उत्पाद्द एसईजेड के लिए है जिसके लिए हमारे दिशानिर्देशों में बहु उत्पाद्द एसईजेड के मामले में तीन साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने का प्रावधान है। इसके लिए बोर्ड ने ऐसे प्रावधान को शामिल करने हेतु संगत नियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाने का निदेश दिया था।

निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है :

नियम 6 के उपबंध (ख) में परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"परंतु यह कि बोर्ड विकासक द्‍वारा फार्म एम में आवेदन प्राप्त होने पर वैधता अवधि बढ़ा सकता है तथा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। आवेदन क्षेत्रीय विकास आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा जो अपनी सिफारिशों के साथ उसे बोर्ड को अग्रेषित करेंगे।"

प्रस्तावित संशोधन के आलोक में तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं :

क्र. सं.	विकासक का नाम	एसईजेड का सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
i.	मैसर्स छत्तीसगढ़ इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण	रायपुर, छत्तीसगढ़	21 जून 2009 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया तथा 20 जून 2009 तक दो बार विस्तार अवधि बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का उपक्रम) ने सूचित किया है कि उपर्युक्त एसईजेड के लिए 28 हेक्टेयर भूमि का अग्रिम रूप से कब्जा ले लिया है। उन्होंने नया रायपुर विकास प्राधिकरण के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें भूमि का ब्यौरा प्रदान किया गया और भुगतान की पुष्टि की गई है।
ii.	रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल)	5000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्द	गुड़गांव, हरियाणा	10000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्द एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 31 मार्च 2006 को प्रदान किया गया था। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल के लिए बढ़ाई गई तथा 10000 हेक्टेयर के मूल अनुमोदन के विरुद्ध अधिकतम आकार को 5000 हेक्टेयर करके एसईजेड पर एक ऊपरी

				सीमा लगाई गई। 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को 5 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद 440.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा क्षेत्र के लिए एसईजेड अधिसूचित किया गया। इसके बाद विकासक को 30 मार्च 2009 तक दूसरी बार विस्तार प्रदान किया गया। चूंकि विकासक बहु उत्पाद एसईजेड का विकास करेगा, उन्होंने तीसरी बार अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। एचएसआईआईडीसी ने विकासक को 133 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर कर दी है। इसके अलावा विकासक ने 486 हेक्टेयर भूमि भी खरीद ली है जो गैर सन्निकट है। वे भूमि को सन्निकट बनाने के लिए हरियाणा सरकार की सहायता ले रहे हैं। आरएचएसएल द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।
iii.	सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	202 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद तथा संबंधित सेवाएं	उडुपी, कर्नाटक	202 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हाइटेक इंजीनियरिंग उत्पाद तथा संबंधित सेवाएं स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 22 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था। सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता दो साल की अवधि के लिए 21 अगस्त 2009 तक बढ़ाई गई थी। विकासक का 81.74 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है। उन्होंने कहा है कि शेष भूमि का अधिग्रहण करने के लिए उनको एक वर्ष चाहिए। न्यूनतम 18.26 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध। अनुरोध विचार के लिए प्रस्तुत है।
iv.	आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल क्षेत्र	कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु	107.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 26 जून 2006 को प्रदान किया गया था तथा 25 जून 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई गई। विकासक ने भूमि की शिनाख्त कर ली है तथा विभिन्न भूमि स्वामियों से उनकी बातचीत चल रही है। तीसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।
v.	एसपीएल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक प्रसंस्करण	रायगढ़, महाराष्ट्र	100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन 23 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था तथा 22 अगस्त 2009 तक दो बार अवधि बढ़ाई गई। विकासक ने कहा है कि एमआईडीसी ने अधिग्रहीत किए जाने वाले 119

				हेक्टेयर के संबंध में 2 जनवरी 2009 को उद्योग विभाग को धारा 32 (1) के तहत नोटिस जारी करने के लिए मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। विकासक ने परियोजना पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

मद संख्या 35.17 : अनुमोदन को वापस लेना

(i) पढ्ढार गांव, भुज तहसील, कच्छ जिला, गुजरात में "सभी प्रयोजनों के लिए तथा परिवहन उद्योग के लिए टायर एवं ट्यूब का निर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग माल" के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एसपीजी इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेना

पढ्ढार गांव, भुज तहसील, कच्छ जिला, गुजरात में आटो कंपोनेंट एवं एंसिलरी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 22 सितंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस बीच, एलओए जारी होने से पूर्व विकासक ने अनुरोध किया कि एसईजेड का सेक्टर आटो कंपोनेंट एवं एंसिलरी से बदलकर "सभी प्रयोजनों के लिए तथा परिवहन उद्योग के लिए टायर एवं ट्यूब का निर्माण सहित परिवहन इंजीनियरिंग माल" किया जाए। परिवर्तित क्षेत्र में 19 नवंबर 2008 को मंजूरी पत्र जारी किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि हाल की आर्थिक मंदी के कारण एसईजेड स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने की उनकी योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। इसकी वजह से उन्होंने एसईजेड के विकास की प्रस्तावित परियोजना को जारी न रखने का निर्णय लिया है और सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मोती चिराई, जीजीडीसीएल एस्टेट, मोती चिराई गांव, जिला कच्छ में हस्तशिल्प एवं कारीगरी क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए गुजरात ग्रोथ सेंटर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

विकासक द्वारा उपर्युक्त अनुरोध को वापस ले लिया गया है। अब यह समझा जाए कि उक्त मद को एजेंडा से हटा दिया गया है।

(iii) मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

मैसूर, कर्नाटक में 12.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स टी होल्डिंग इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 26 जून 2007 को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब विकासक ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के ढह जाने तथा वैश्विक मंदी के कारण आईटी कंपनियों

की राजस्व धाराओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से सेवाओं के लिए मांग घटी है जिसका असर कार्यालय स्थान पर पड़ा है जिससे परियोजना अलाभप्रद हो गई है। विकासक ने यह भी कहा है कि परियोजना के अंदर अवसंरचना विकास के लिए पर्याप्त वित्त पोषण के अभाव से वित्तीय संकट और बढ़ गया है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने केआईएडीबी को भूमि वापस लौटा दी है जिसे केआईएडीबी द्वारा 16 जून 2009 को स्वीकार भी कर लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन के पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय है कि चूंकि यह केवल औपचारिक अनुमोदन का मामला है, इसलिए यह अनिवार्य है कि कोई ड्यूटी फ्री लाभ / छूट प्राप्त न की हो। औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.18 : डिफेक्टिव जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की रिपेयर / री-इंजीनियरिंग / री-मेकिंग को शामिल करने हेतु एलओए में संशोधन के संबंध में विकास आयुक्त, एमपीईजेड एसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की अपील

मैसर्स सुजलोन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा हाईटेक इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए शुरू में 18 सितंबर 2007 को मैसर्स एसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एलओए जारी किया गया था। यूनिट ने विंड टर्बाइन के लिए जेनरेटर / कंट्रोल पैनल, यूनिट के निर्माण के लिए अपना प्रचालन आरंभ किया। कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के जेनरेटर / कंट्रोल पैनल की रिपेयर / रीइंजीनियरिंग / रीमेकिंग के लिए अनुमोदन हेतु विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड को आवेदन किया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने अनुरोध की गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों के संचालन के लिए मंजूरी प्रदान की और अधिकृत प्रचालन के अंग के रूप में कुछ गतिविधियों को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की तथा कुछ अन्य गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने से मना कर दिया। यूनिट ने ऐसी गतिविधियों की सूची प्रदान की है जो विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित नहीं की गई हैं (अनुबंध 6)। यूनिट ने विकास आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल की है जो अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.19 : फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेस्ड गारमेंट / सभी प्रकार के रैग के निर्माण के लिए अनुमति पत्र के साथ फाल्टा एसईजेड की यूनिट है। एलओपी 31 दिसंबर 2012 तक वैध है। उक्त अनुरोध 8 अगस्त 2007 और 19 अगस्त 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में सूचीबद्ध था तथा इसे निम्नलिखित आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था :

(i) एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार इस क्षेत्र के लिए नया अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जा सकता है;

(ii) इस एलओए की वैधता केवल 31 दिसंबर 2007 तक है;

(iii) मौजूदा यूनिट को फाल्टा से कांडला में अंतरित करना संभव नहीं होगा क्योंकि वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(iv) पुरानी यूनिटों को दूसरे एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अब यूनिट ने पुन: अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया है तथा सूचित किया है कि फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में ट्रांसफर के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया जाए क्योंकि उनकी यूनिट निम्नलिखित कारणों से फाल्टा एसईजेड में लाभप्रद नहीं है :

(i) फाल्टा एसईजेड पोर्ट से 60 किलोमीटर दूर है जबकि कांडला एसईजेड पोर्ट से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर है।

(ii) फाल्टा एसईजेड पूर्वी क्षेत्र में स्थित है तथा पूर्वी क्षेत्र से अफ्रीका एवं मध्य पूर्व में माल भेजना हमारे देश के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में काफी महंगा है।

(iii) मूल्य की दृष्टि से उत्पाद कम है परंतु मात्रा अधिक है। अत: शिपिंग फ्रेट की लागत अधिक हो जाती है।

(iv) कांडला एसईजेड में उत्पाद के विपणन की संभावना अधिक है क्योंकि वहां इस तरह की 10 यूनिटें काम कर रही हैं इसलिए विदेशी क्रेता नियमित रूप से कांडला एसईजेड में आते रहते हैं। इस प्रकार कांडला एसईजेड में विपणन की कोई समस्या नहीं है। यूएसए से कांडला एसईजेड में समय समय पर कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ता भी आते रहते हैं।

(v) समान यूनिटों के मौजूद होने के कारण कांडला एसईजेड में तकनीकी स्टाफ़ उपलब्ध है।

(vi) कांडला एसईजेड पर कुशल श्रम भी आसानी से उपलब्ध है।

(vii) कंपनी का स्वामी भी गुजरात से है।

(viii) लाभप्रद न होने के कारण यूनिट पिछले 72 महीनों से निर्यात नहीं कर पाई है।

यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि उनका एलओपी 31 दिसंबर 2012 तक वैध है और 250 लाख रुपए के आंकड़ों के साथ आज तक उन्होंने सकारात्मक एनएफई मेंटेन किया है।

यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के लिए अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत किया है। यह विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.20 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गोल्डस्टार जूलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

एसईईपीजेड एसईजेड में रत्न एवं आभूषण यूनिट स्थापित करने के लिए 30 सितंबर 2004 को मैसर्स गोल्डस्टार ज्वैलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एलओए जारी किया गया था। चूंकि एलओए एक साल के लिए वैध था, हर बार एक साल के लिए वैधता अवधि तीन बार बढ़ाई गई।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी तथा उद्योग के समक्ष मौजूद अन्य समस्याओं के कारण मैसर्स गोल्डस्टार ज्वैलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19 अगस्त 2008 के माध्यम से विकास आयुक्त, एसईईपीजेड को अपना एलओए दिनांक 3 सितंबर 2007 लौटाने का अनुरोध किया और आईटी संबंध सेवाएं प्रदान करने हेतु एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए नया एलओए जारी करने का भी अनुरोध किया।

गोल्डस्टार ज्वैलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के माध्यम से एलओए की वैधता अवधि के दौरान आयातित पूंजी माल को पुन: निर्यात करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क निवारक अधीक्षक से अनुरोध किया। गोल्डस्टार ज्वैलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न पूंजी माल पर ड्यूटी का भुगतान करने का निदेश दिया गया तथा ड्यूटी के भुगतान के बगैर पुन निर्यात के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया।

गोल्डस्टार ज्वैलरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने यूनिट के समक्ष मौजूद कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन दिया तथा ड्यूटी के भुगतान के बगैर पूंजी माल का पुन निर्यात करने की अनुमति प्रदान करने या 6 माह की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि वे पूंजी माल का पुन निर्यात कर सकें या अन्य एसईजेड यूनिट को पूंजी माल का अंतरण कर सकें।

एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने से इंकार करते समय विकास आयुक्त के कार्यालय ने कंपनी को पूंजी माल पर ड्यूटी का भुगतान करने का निदेश दिया था। अत: यूनिट ने 6 माह की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अभ्यावेदन दिया है ताकि एलओए की वैधता अवधि के दौरान ड्यूटी फ्री आयातित पूंजी माल का पुन निर्यात किया जा सके। विकास आयुक्त की टिप्पणियां मांगी गईं। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड के अनुसार, यूनिट को अनुमोदित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एलओए की वैधता का समय समय पर विस्तार प्रदान किया गया। तथापि, एलओए की विस्तारित वैधता अवधि के अंदर वे परियोजना को कार्यान्वित करने में असफल रहे। आयातित पूंजी माल के पुन: निर्यात के लिए यूनिट के अनुरोध को एसईजेड प्रशासन द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि एसईजेड नियमावली इसकी अनुमति नहीं देती है। इसकी अनुमति तभी दी

जा सकती है जब एलओए वैध हो। वर्तमान मामले में एलओए की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है तथा कालातीत एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की विस्तृत टिप्पणियां अनुबंध 7 के रूप में संलग्न हैं।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

प्लास्टिक ग्रेनूल तथा रीप्रोसेस्ड प्लास्टिक एगलोमरेट्स और ले फ्लैट ट्यूब के निर्माण और निर्यात के लिए 18 अक्टूबर 1996 को मैसर्स सुखी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट को एलओए प्रदान किया गया। यूनिट ने 14 जुलाई 1999 को उत्पादन शुरू किया। यूनिट ने 13 जुलाई 2009 को 5 वर्षों के प्रचालन का दूसरा ब्लाक पूरा किया और 5 साल की अगली अवधि के लिए फाल्टा एसईजेड से अपने एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड नियमावली के नियम 18(4) (क) के अनुसार, प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिटों के एलओए की अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। पिछले 5 वर्षों के लिए विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े लाख रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात (कुल बहिर्प्रवाह)	एनएफई
2004-05 (14 जुलाई 2004 से 31 मार्च 2005)	484.97	33.92	+451.05
2005-06	509.60	153.19	+356.41
2006-07	641.02	786.93	-145.91
2007-08	517.60	773.98	-256.38
2008-09	218.77	226.60	-7.83
कुल	2371.93	1974.62	+3973.34

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार यूनिट ने पहले दो लगातार वर्षों अर्थात 2004-05 और 2005-06 के दौरान सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया था। परवर्ती वर्षों में यह नकारात्मक था परंतु संचयी रूप से 5 साल की अवधि में यह सकारात्मक है।

अगले पांच साल की अवधि के लिए एलओपी के विस्तार के लिए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मौजूदा एलओए में यादृच्छिक आकारों के देशज स्रोत से चंदन के लट्ठे से निर्मित चंदन तेल, 50 ग्राम के चंदन चिप को शामिल करते हुए विनिर्माण की मदों की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स साईं ललित फ्रैगरेंस, एमईपीजेड एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

कतिपय मदों के निर्माण और निर्यात के लिए 31 जुलाई 2003 को (यथासंशोधित एसईजेड योजना के तहत) मैसर्स साईं ललित फ्रैगरेंस, एमईपीजेड एसईजेड में यूनिट को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने मौजूदा एलओए में यादृच्छिक आकारों के देशज स्रोत से चंदन के लट्ठे से निर्मित चंदन तेल, 50 ग्राम के चंदन चिप को शामिल करते हुए विनिर्माण की मदों की ब्राड बैंडिंग के लिए विकास आयुक्त, एमईपीजेड से संपर्क किया। 26 जून 2009 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि चंदन प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। एसईजेड अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत उनके द्वारा अस्वीकृति पत्र जारी किया गया। इस मुद्दे पर विकास आयुक्त, एमईपीजेड की टिप्पणियां मांगी गई हैं। विस्तृत प्रस्ताव अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

साफ्टवेयर विकास तथा आईटीईएस के लिए 3 सितंबर 1996 को मैसर्स कीने इंडिया लिमिटेड नोएडा एसईजेड में यूनिट को एलओए प्रदान किया गया था। यूनिट ने 7 अक्टूबर 1996 को वाणिज्यिक गतिविधियां आरंभ की। यूनिट ने 6 अक्टूबर 2001 को 5 वर्षों के प्रचालन का पहला ब्लाक पूरा किया। यूनिट ने अगले 5 साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन नहीं किया। 9 जुलाई 2007 को एसईजेड द्वारा वैधता अवधि समाप्त होने का उल्लेख किया गया जिसके जवाब में यूनिट ने 24 जुलाई 2007 को संशोधित अनुमानों के साथ अगले 5 वर्षों के लिए एलओए के नवीकरण के लिए आवेदन किया और अगले 5 साल की अवधि के लिए फाल्टा एसईजेड से अपने एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

एसईजेड ने 29 अगस्त 2007 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब में यूनिट ने कहा कि वे यह मानते थे कि एलओपी हमेशा के लिए वैध है। निजी सुनवाई के दौरान उन्होंने सूचित किया कि उनको एसईजेड नियमावली की जानकारी नहीं थी और अनभिज्ञ होने की दलील दी। एलओए के नवीकरण के लिए समय से आवेदन न करने के लिए 50000 रुपए का दंड लगाया गया। यूनिट ने अपीलीय समिति के समक्ष अपील दाखिल की जिसने एलओए के नवीकरण के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया क्योंकि विकास आयुक्त के पास भूतलक्षी प्रभाव से एलओए को नवीकृत करने की शक्ति नहीं है। तदनुसार, मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.21 : रिपेयर और पुन: निर्यात के लिए विदेशी सहयोगियों से ज्वैलरी के आयात अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स यस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट के मामले में स्पष्टीकरण के लिए एसईईपीजेड एसईजेड का अनुरोध

प्लेन तथा स्टडेड गोल्ड / प्लेटिनम / सिल्वर / पलैडियम ज्वैलरी के निर्माण और निर्यात के लिए मैसर्स यस ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड, एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिट को एलओए जारी किया गया। यूनिट ने 01 जून 2007 को उत्पादन शुरू किया। यूनिट ने रिपेयर और पुन: निर्यात के लिए विदेशी सहयोगियों से ज्वैलरी का आयात करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विस्तृत प्रस्ताव अनुबंध 9 के रूप में संलग्न है। मामला यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) के समक्ष रखा गया। क्या एसईजेड अधिनियम की धारा 2 (आर) के अनुसार 'विनिर्माण' के तहत मरम्मत को शामिल समझा जा सकता है और क्या अन्यत्र निर्मित फर्निश्ड उत्पादों का आयात एवं मरम्मत एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत अनुमत है - इस मुद्दे पर सभी सदस्यों में सर्वसम्मति न होने के कारण एसईईपीजेड एसईजेड ने स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है। एसईजेड अधिनियम की धारा 13 (5) के अनुसार यदि यूनिट अनुमोदन समिति सामान्य सर्वसम्मति से किसी मामले का निर्णय करने में असमर्थ होती है तो ऐसा मामला अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित समझा जाएगा। मामला अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 35.22 : टूटे फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, साफ्ट टॉय, हार्ड टॉय को शामिल करने की अनुमति प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स का अनुरोध

पुन: निर्यात के लिए टूटे फूटे / प्रयुक्त / सरप्लस जूतों के आयात के लिए 30 जुलाई 1997 को मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स, कांडला एसईजेड में यूनिट को अनुमति पत्र प्रदान किया गया था। यूनिट ने 01 सितंबर 1999 को उत्पादन शुरू किया। वर्ष 2005-06 के लिए निर्यात का टर्नओवर 7.69 करोड़ रुपए और 2006-07 में 15.25 करोड़ रुपए था। कंपनी ने विदेशी संस्था को सेवा प्रदान करने के लिए ब्राड बैंडिंग की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। 22 सितंबर 2008 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया और विदेशी संस्था को सेवाएं प्रदान करने हेतु ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स मारूती एक्सपोर्ट्स के अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा शर्त यह रखी गई कि कोई डीटीए बिक्री नहीं होगी और यह भी शर्त रखी गई कि आयात के साथ एक दर एक मिलान में निर्यात किया जाएगा और सभी रीकंडीशंड या रिपेयर्ड या रीइंजीनियर्ड उत्पाद और स्क्रैप या अवशेष या अपशिष्ट का निर्यात किया जाएगा तथा इनमें से किसी को डीटीए में एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) (घ) के परंतुक के अनुसार बेचने या नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

अब संयुक्त विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने कहा है कि विकसित देशों में जूतों के कम संग्रहण, कड़ी प्रतिस्पर्धा, फ्रेट की ऊंची लागत के कारण कांडला में प्रोसेसिंग के लिए केवल टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों की उपलब्धता कम होगी। यूनिट ने कांडला एसईजेड से विदेशों में 100 प्रतिशत निर्यात के लिए रीकंडिशनिंग, सार्टिंग एवं

रीलेबलिंग के लिए टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों के साथ टूटे फूटे / प्रयुक्त पुनर्चक्रणीय उत्पाद मिश्रण असेसरीज अर्थात बेल्ट, पर्स, बैकपैक, हार्ड टॉय एवं साफ्ट टॉय की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया। यूनिट ने एसईजेड को यह भी सूचित किया है कि विदेशों से टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों के साथ उपर्युक्त सभी उत्पादों की आपूर्ति करने का उद्देश्य विकसित देशों की ऊंची लागत श्रम में बचत करना है।

मद की संवेदनशील प्रकृति तथा एसईजेड में पुनर्चक्रण की गतिविधियों से संबंधित नीति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त कांडला एसईजेड ने विदेशों में निर्यात के लिए रीकंडिशनिंग / सार्टिंग / रीलेबलिंग के लिए विदेशों से टूटे फूटे / प्रयुक्त जूतों के साथ उपर्युक्त सभी उत्पादों की आपूर्ति के लिए यूनिट के अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

मद संख्या 35.23 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अपने बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और 7 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड 1578.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और 7 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है। 2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मामले पर विचार किया गया तथा इसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि बोर्ड द्वारा यह नोट किया गया कि विकासक ने अतिरिक्त फाटकों के प्लेसमेंट का उल्लेख करते हुए न तो कोई ड्राइंग दी है और न ही उनके प्रयोग का कोई समुचित औचित्य प्रदान किया है। तदनुसार, बोर्ड ने समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने तक मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अपने बहु उत्पाद एसईजेड में 4 स्थायी और 7 अस्थायी फाटकों के अनुमोदन के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को अनुमोदित न करने का निर्णय लिया। अब विकासक ने अतिरिक्त फाटकों के लोकेशन को दर्शाने वाले मैप के साथ विस्तृत औचित्य प्रदान करते हुए इस संबंध में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुबंध 1

फाइल सं. एफ 1/153/2007-एसईजेड
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(एसईजेड अनुभाग)

दिनांक : 22 अगस्त, 2008

सेवा में

अधिसूचित एसईजेड के सभी विकास आयुक्त / विकासक / अनुमोदित सह विकासक

प्रिय महोदय / महोदया,

यह पत्र संख्या एफ 2/1/2007-एसईजेड दिनांक 26 जून 2007 के माध्यम से पहले सूचित डिफाल्ट प्रचालनों की संकल्पना को दोहराने के लिए है। अधिसूचित एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों से संबंधित मुद्दे पर 22 जून 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई। चूंकि अधिसूचना की तिथि तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिकृत प्रचालनों के वास्तविक अनुमोदन के बीच अंतर मौजूद होता है इसलिए परियोजना कार्यान्वयन में विलंब से बचने के लिए अनुबंध में संलग्न सूची के अनुसार अनुमोदन बोर्ड द्वारा डिफाल्ट प्रचालन के रूप में अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की गई, जिन्हें एसईजेड की अधिसूचना के बाद यथास्थिति विकासक या सह विकासक द्वारा संचालित किया जा सकता है।

2. विकास आयुक्त / यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से इन डिफाल्ट अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासकों / अनुमोदित सह विकासकों को ड्यूटी फ्री सामग्री की अनुमति प्रदान कर सकती है।

3. अन्य अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासक / सह विकासक गतिविधियों के आकार एवं मात्रा का उल्लेख करते हुए अनुमोदन बोर्ड को अलग से विस्तृत आवेदन कर सकते हैं।

हस्ता/-
(विजय कुमार)
निदेशक
टेलीफोन नंबर : 2306 3434
ईमेल : vkumar167@nic.in

ईओयू तथा एसईजेड के लिए डीजी ईपीसी को सूचनार्थ प्रति प्रेषित

अधिकृत गतिविधियां जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट के रूप में विकासक / अनुमोदित सह विकासक द्वारा संचालित की जा सकती हैं

(क) सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण विशेष आर्थिक क्षेत्र :

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
6. वर्षा जल संचयन संयंत्र
7. प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एयरकंडिशनिंग
8. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
9. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
10. चारदीवारी
11. निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र जो न्यूनतम निर्धारित 1 लाख वर्गमीटर से कम नहीं होगा
12. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

(ख) क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं

7. वर्षा जल संचयन संयंत्र
8. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
9. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
10. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
11. चारदीवारी
12. प्रसंस्करण क्षेत्र में फैक्ट्री शेड
13. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

अधिकृत गतिविधियां जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट के रूप में विकासक / अनुमोदित सह विकासक द्वारा संचालित की जा सकती हैं

(ग) बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. खेल का मैदान
7. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
8. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
9. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
10. चारदीवारी
11. फैक्ट्री शेड
12. सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान जो 500 वर्गमीटर से कम नहीं होगा

अनुबंध 2

अधिकृत प्रचालनों की सूची में प्रस्तावित वृद्धि

अधिकृत गतिविधियां जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट के रूप में विकासक / अनुमोदित सह विकासक द्वारा संचालित की जा सकती हैं

(क) सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं / ईएच एंड साफ्टवेयर, जैव प्रौद्योगिकी तथा रत्न एवं आभूषण विशेष आर्थिक क्षेत्र / हस्तशिल्प / सौर ऊर्जा उपकरण / सेल / स्टैंड एलोन एफटीडब्ल्यूजेड सहित गैर परंपरागत ऊर्जा :

1. **स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें**
2. **जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल**
3. **सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र**
4. **उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क**
5. **इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं**
6. **वर्षा जल संचयन संयंत्र**
7. **प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एयरकंडिशनिंग**
8. **स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम**
9. **लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज**
10. **चारदीवारी**
11. **निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र जो न्यूनतम निर्धारित** 1 **लाख वर्गमीटर से कम नहीं होगा**
12. **विकास आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए** 1000 **वर्गमीटर तक कार्यालय स्थान**
13. **स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि**
14. **निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें एवं अन्य निस्सारी शोधन के लिए अवसंरचना**
15. **पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र**
16. **खेल का मैदान**
17. **बस बे**
18. **वाई फाई / वाई मैक्स सेवाएं**
19. **ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां**

(ख) क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र या एक या अधिक सेवाएं या किसी पोर्ट या एयरपोर्ट में

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क
5. निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं
6. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
7. वर्षा जल संचयन संयंत्र
8. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज
9. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
10. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां
11. चारदीवारी
12. प्रसंस्करण क्षेत्र में फैक्ट्री शेड
13. विकास आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए 1000 वर्गमीटर तक कार्यालय स्थान
14. स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि
15. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
16. खेल का मैदान
17. बस बे
18. फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
19. प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
20. एसईजेड के अंदर रेल हेड *(*केवल विशिष्ट एसईजेड के संबंध में जैसे कि स्टील प्लांट, पावर एसईजेड*)*

टिप्पणी *:* "आईटी / आईटीईएस / ईएचएस, जैव प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प क्षेत्र, सौर ऊर्जा उपकरण / सेल सहित गैर परंपरागत ऊर्जा तथा *100* हेक्टेयर या अधिक के स्टैंड एलोन एफटीडब्ल्यूजेड एसईजेड के लिए भी, उपर्युक्त दिशानिर्देश लागू होंगे।"

अधिकृत गतिविधियां जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट के रूप में विकासक / अनुमोदित सह विकासक द्वारा संचालित की जा सकती हैं

(ग) बहु उत्पाद्द विशेष आर्थिक क्षेत्र

1. **स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें**
2. **जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा उपयुक्त क्षमता के वाटर चैनल**
3. **सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र**
4. **उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सब स्टेशन, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित इलेक्ट्रिकल, गैस एवं पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वितरण नेटवर्क**
5. **निस्सारी शोधन संयंत्र तथा पाइप लाइनें और निस्सारी शोधन के लिए अन्य आधारभूत सुविधाएं**
6. **खेल का मैदान**
7. **लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज**
8. **वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं**
9. **ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां**
10. **चारदीवारी**
11. **फैक्ट्री शेड**
12. **विकास आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क तथा सुरक्षा स्टाफ के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए** 1000 **वर्गमीटर तक कार्यालय स्थान**
13. **स्थल के अंदर तथा परिधि के समानांतर प्रवेश, निकास तथा अन्य बिंदुओं पर सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि**
14. **पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र**
15. **बस बे**
16. **फायर स्टेशन, स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम**
17. **प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली**
18. **बैंक**
19. **एसईजेड के अंदर रेल हेड**
20. **इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं**

टिप्पणी : (i) सुझाए गए परिवर्तनों / वृद्धियों को बड़े फांट में दर्शाया गया है जिसे बोल्ड और इटेलिक्स भी किया गया है।

(ii) प्रसंस्करण क्षेत्र या गैर प्रसंस्करण क्षेत्र या दोनों में इन गतिविधियों की अनुमति प्रदान करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं।